



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 14

पटना, बुधवार,

18 चैत्र 1948 (श0)

8 अप्रील 2026(ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	02-05
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	06-06
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4-बिहार अधिनियम	---
भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9-विज्ञापन	---
भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
	पूरक
	पूरक-क

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

25 मार्च 2026

सं० 02/एम0एम0(बा०)-10/24-2143/एम०—बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-44 के तहत राज्य सरकार किसी लघु खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों पर युक्तियुक्त निबंधन लगा सकती है। नियम-44 में राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-1882, दिनांक-15.05.2024 की कंडिका-1 में निम्नलिखित विनिर्देश जारी किया गया है :-

“खनिज परिवहन में प्रयुक्त वाहनों पर चारों तरफ लाल (SIGNAL RED) रंग से बीस ईंच चौड़ी पट्टी पेंट की जाएगी। उक्त पट्टी पर सफेद रंग से 06 (छः) इंच फॉन्ट साईज के शब्दों में खनन वाहन-निबंधन संख्या (खनन सॉफ्ट में निबंधन संख्या) एवं वाहन का निबंधन संख्या अंकित जाना अनिवार्य किया जाता है। कोई भी वाहन मालिक/परिवहनकर्ता G.P.S. एवं उपरोक्त वर्णित विशिष्ट रंग की पट्टी के बिना खनिज का परिवहन नहीं करेंगे।”

इस क्रम में बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-44 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना की कंडिका-1 को प्रतिस्थापित कर निम्न विनिर्देश जारी किया जाता है :-

1. “खनिज परिवहन में प्रयुक्त वाहनों पर चारों तरफ लाल (SIGNAL RED) रंग से बीस ईंच चौड़ी पट्टी पेंट की जाएगी। उक्त पट्टी पर सफेद रंग से 06 (छः) इंच साईज के अंग्रेजी शब्दों में स्पष्ट रूप से पठनीय खनन वाहन-निबंधन संख्या (खनन सॉफ्ट में निबंधन संख्या) एवं वाहन का निबंधन संख्या अंकित जाना अनिवार्य किया जाता है। कोई भी वाहन मालिक/परिवहनकर्ता G.P.S. एवं उपरोक्त वर्णित विशिष्टताएं के बिना खनिज का परिवहन नहीं करेंगे।”

2. अधिसूचना संख्या-1882, दिनांक-15.05.2024 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी।

3. यह अधिसूचना दिनांक-01.04.2026 से प्रभावी होगा।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

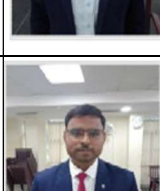
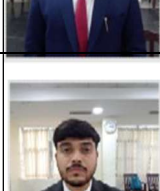
भारत भूषण प्रसाद, अपर सचिव।

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

24 मार्च 2026

सं० प्र०-I-रा०(नि०)-01/2026-2127—बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 09/लो०से०आ०/गो०, दिनांक 22.01.2026 के द्वारा विज्ञापन संख्या-36/2025 के अन्तर्गत बिहार खान एवं भूतत्व सेवा के मूल कोटि के खनिज विकास पदाधिकारी के पद पर अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पुनरीक्षित-लेवल 9 में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ परीक्ष्यमान खनिज विकास पदाधिकारी के रूप में पूर्णतः औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है:-

क्र० सं०	मेघा क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	स्थायी पता	आरक्षण कोटि	अनुशंसित कोटि	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	360160	श्री मृत्युंजय कुमार	श्री सुबोध कुमार मंडल	05-07-1995	ग्राम-केलाबाड़ी, पो०-चौसा, थाना-चौसा, जिला-मधेपुरा, बिहार, पिन-852213	पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	
2	2	360832	श्री ऋषभ कुमार	श्री सुनील कुमार सिंह	27-11-1996	ग्राम-पोखरपुर, पो०-पावापुरी, थाना-गिरियक, जिला-नालंदा, बिहार, पिन-803115	पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	
3	3	360469	श्री गोपाल कुमार सिंह	श्री रणविजय सिंह	21-02-1995	ग्राम-दनवार, पो०-दनवार, डेहरी ऑन-सोन, जिला-रोहतास, बिहार, पिन-821309	अनारक्षित	अनारक्षित	
4	4	360337	श्री अंकित कुमार	श्री अजय कुमार	05-11-2001	ग्राम-ददरेजी, पो०-कौंच, थाना-कौंच, जिला-गया जी बिहार, पिन-824207	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
5	5	361233	श्री अम्बिक कुमार	श्री अशोक कुमार	03-12-1994	चौधरी टोला, न्यू कॉलोनी, पो०-महेन्द्र, थाना-सुलतानगंज, जिला-पटना, बिहार, पिन-800006	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
6	6	360675	श्री मनीष कुमार	श्री रविशंकर प्रसाद	02-01-1997	ग्राम-मनियावां, पो०-दीपनगर, थाना-नालंदा, जिला-नालंदा, बिहार, पिन-803111	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	
7	7	361245	श्रीमती ऋचा	श्री शंकर कुमार सिंह	01-01-1993	ग्राम-सरायनुरनगर, पो०-नैपुर, थाना-बछवाड़ा, जिला-बेगूसराय, बिहार, पिन-851128	अनारक्षित	अनारक्षित (महिला)	

8	10	360716	श्री सौरभ कुमार	श्री अजित कुमार सिंह	05-02-2003	ग्राम-कुसरे मठिया, वार्ड सं०-14, पो०-नरगा, थाना-करपी, जिला-अरवल, बिहार, पिन-804419	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	
9	14	360603	श्री अमय कुमार	श्री छोटेलाल प्रसाद	30-12-1996	मौजे माई स्थान, वार्ड सं०-15, पो०+थाना-रक्सौल, जिला-पूर्वी चम्पारण, बिहार, पिन-845305	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
10	17	360115	श्री जय शंकर प्रसाद	श्री ज्ञानचन्द्र सिंह	02-11-1986	सुल्तान पोखर (पश्चिम), वार्ड सं०-04, पो०+थाना-फारबिसगंज, जिला-अररिया, बिहार, पिन-854318	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
11	22	360897	सुश्री रश्मि बाला	श्री शंकर शर्मा	26-03-1997	ग्राम-गोपालपुर, पो०-निरंजनपुर, थाना-मेहन्दिआ, जिला-अरवल, बिहार, पिन-804428	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित (महिला)	
12	23	360584	श्री कुमार रबी शंकर	श्री अमरेन्द्र कुमार	24-11-1998	ग्राम-अमनी, पो०-अमनी, थाना-मानसी, जिला-खगड़िया, बिहार, पिन-851214	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	
13	25	360191	सुश्री अंजलि आत्रेई	श्री प्रमोद कुमार	28-12-1999	न्यू एतवारपुर, नियर आरा मशीन, पो०-कुरथोल, थाना-परसा बाजार, जिला-पटना, बिहार, पिन-804453	पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित (महिला)	
14	26	360736	श्री समीर सावर्ण	श्री राम शंकर राय	30-11-1996	वार्ड सं०-07, ग्राम-दिघरा, पो०-दिघरा, जिला-समस्तीपुर, बिहार, पिन-848115	अनारक्षित	अनारक्षित (FFD)	

2. यह नियुक्ति पत्र बिहार खान एवं भूतत्व सेवा नियमावली, 2008 के तहत निर्गत किया जा रहा है।

3. बिहार खान एवं भूतत्व सेवा नियमावली, 2008 के तहत सेवा सम्पुष्टि/वेतन वृद्धि/प्रोन्नति एवं अन्य नियम प्रवृत्त होंगे।

4. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों को प्रथम दृष्टया सही मानकर इस शर्त के साथ की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य संगत प्रमाण

पत्रों/अभिलेखों के सत्यापन के क्रम में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

5. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ पत्र (अनुमंडल दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत) तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

6. बिहार पेंशन(संशोधन) नियमावली-2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं संकल्प संख्या-768 दिनांक-03.07.07 के अनुसार नई अंशदायी पेंशन योजना एवं सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में प्रवृत्त निर्देश लागू होंगे।

7. आपकी वरीयता का निर्धारण बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल में निर्धारित (मेधा सूची) योग्यताक्रम के अनुसार होगा।

8. पदस्थापन की अधिसूचना अलग से निर्गत की जाएगी। आपको बतौर खनिज विकास पदाधिकारी के पद पर संबंधित जिला खनन कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रभार ग्रहण/योगदान सुनिश्चित करना है।

9. नियुक्ति पत्र में अंकित QR Code से आपके फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान होने के पश्चात् आपका प्रभार ग्रहण/योगदान स्वीकृत करने के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

10. औपबधिक नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि के पश्चात् तथा प्रभार ग्रहण/योगदान के पूर्व विरमन पत्र सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर प्रभार ग्रहण/योगदान के समय समर्पित किया जाना अनिवार्य है।

11. नियुक्ति पत्र में अंकित निर्धारित तिथि को प्रभार ग्रहण/योगदान नहीं करने की स्थिति में आपकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

12. बिहार खान एवं भूतत्व सेवा नियमावली, 2008 के तहत प्रभार ग्रहण/योगदान की तिथि से आपकी परिवीक्षा अवधि प्रारंभ होगी।

13. खनिज विकास पदाधिकारी के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के समाहर्ता होंगे।

14. राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान लेवल-9 एवं अन्य देय भत्ता अनुमान्य होगा।

15. परिवीक्षा अवधि में निर्धारित सभी प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भारत भूषण प्रसाद, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 3—571+50-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

(शुद्धि पत्र)

28 जनवरी 2026

सं० भवन/स्था०-02-विविध-16/2025/941(भ)—विभागीय अधिसूचना सं०-895(भ०), दिनांक-27.01.2026 के क्रमांक-6 पर स्थित श्रीमती प्रीति कुमारी/नालंदा 52/2024 के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित “प्राक्कलन पदाधिकारी (विद्युत), मुख्य विद्युत अभियंता, पटना” के स्थान पर “योजना अभियंता, मुख्य विद्युत अभियंता, पटना” पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना की अन्य कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नीरज कुमार, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 3—571+10-डी०टी०पी०।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>